न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 126/2025/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 17.04.2025
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामचरण आत्मज उदा जाति चमार निवासी ग्राम नोताड़ा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 11.08.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण सं0 117/2024 बउनवान राजस्थान सरकार बनाम रामचरण में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2025 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दीगोद के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1956 के संशोधित नियम 1957 के अन्तर्गत पेश किया गया कि अपीलांट/अप्रार्थी रामचरण आत्मज उद्दा जाति चमार निवासी नोताडा को मिसल नं. 135 दिनाक 19.06.1989 को वाके ग्राम नोताडा तह० दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 1.00 है० का आंवटन किया गया था तथा आवंटी को दिनांक 19.06.1989 को आवंटित भूमि पर दखल दे दिया गया था तथा आंवटी को राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र की उक्त सिंचित भूमि कीमतन आवटन की गई थी, जिसकी कीमत आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाई गई। इस प्रकार आंवटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जाकर कीमतन आवंटित भूमि की बिना राजकीय राशि/कीमत भूमि जमा राज किए बिना ही गैरखातेदारी अवस्था में ही श्री हेमराज उर्फ पप्पू

11-8-2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

आत्मज श्री बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी नौताडा तहसील दीगोद को 3,12,000/– अक्षरे रूपये तीन लाख बारह हजार रूपये मात्र में दिनांक 5.5.2008 को ही बेचान कर कब्जा संभला दिया गया है। इस प्रकार से उक्त आंवटित भूमि पर आज आवंटी का कब्जा काश्त नही है। आवंटी द्वारा उक्त भूमि विक्रय के पश्चात कीमतन भूमि जमा राज की है, जो क्रेता द्वारा आवंटी के नाम से जमा राज कर राज्य सरकार को धोखा देकर खातेदारी प्राप्त करने की नियत से किया गया है, जो अवैध है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन दिनांक 19.06.1989 निरस्त किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आवंटी श्री रामचरण द्वारा उसे आवंटित कृषि भूमि को गैरखातेदार रहते हुए ही अर्थात बिना खातेदारी दर्ज किए हुए ही बेचान करना प्रमाणित मानते हुए तदनुसार उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी/अपीलार्थी को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 19.06.1989 को निर्णय दिनांक 07.02.2025 से निरस्त किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 07.02.2025 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के पक्ष में जारी आवंटन आदेश दिनांक 19.06.1989 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट के आवंटन के संबध मे योग्य अधीनस्थ न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। अपीलान्ट का आवंटन वर्ष 1989 का है, जिसे 35 वर्ष बाद बिना किसी आधार एवं तथ्य के निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.05.2008 को कोई बेचाननामा आलेखित नही किया, जिसका खण्डन अपीलान्ट द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से किया गया अर्थात उक्त बेचान त्रुटि पूर्ण व असत्य होने से अपीलान्ट द्वारा फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया गया, जिसमें हेमराज द्वारा अपनी गलती होना स्वीकार किया गया। साथ ही हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.07.2019 की रिपोर्ट से अपीलान्ट का कब्जा होने के बावजूद भी अपीलान्ट का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने

अति. सं. आयुक्त
कोटा

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.24 की पालना में अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नही किया। जबकि अपीलान्ट प्रश्नगत आराजी पर आवंटन के पश्चात से ही आवंटन शर्तों की पालना करता चला आ रहा है तथा अपीलान्ट के विरूद्ध कोई राशि बकाया नही है। अपीलान्ट द्वारा ही गैरखातेदारी से खातेदारी के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार दीगोद द्वारा आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा किसी भी आवंटन शर्तों का उल्लंघन नही किया गया है। अपीलान्ट एक भूमिहीन अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा आवंटित आराजी ही अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के परिवार का जीवन यापन का एक मात्र सहारा है। उक्त सभी तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। आवंटन नियमो के अनुसार आवंटन के तीन वर्ष बाद अथवा 10 वर्ष बाद खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है। किन्तु अपीलान्ट निरन्तर काबिज होने के बावजूद भी खातेदारी प्रदान नहीं की गयी। अपीलान्ट का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन के अन्तर्गत होने से अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नही था, किन्तु फिर भी अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। प्रश्नगत आराजी के संबंध में पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आवंटन निरस्तीकरण बाबत प्रकरण संख्या 9/15 सरकार बनाम रामचरण में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2017 से प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया गया था। जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील संख्या 17/456 प्रस्तुत की जो दिनांक 11.04.2018 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय मे रिमान्ड की गयी। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.21 को पुनः आवंटन खारिज करने का आदेश प्रदान कर दिया जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील संख्या 91/2022 प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 30.04.24 को अधीनस्थ न्यायालय को रिमान्ड की गयी। किन्तु फिर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट का कब्जा होने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.02.2025 निरस्त फरमाया जावे।

अति. संभाग आयुक्त
कोटा

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को दिनांक 19.06.1989 को प्रश्नगत आराजी का आवंटन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवंटन किये जाने के 35 वर्ष बाद बिना किसी आधार एवं तथ्य के अपीलांट का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.05.2008 को कोई बेचाननामा आलेखित नही किया, जिसका खण्डन अपीलान्ट द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से किया गया अर्थात उक्त बेचान त्रुटिपूर्ण व असत्य होने से अपीलान्ट द्वारा फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया गया, जिसमें हेमराज द्वारा अपनी गलती होना स्वीकार किया गया। साथ ही हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.07.2019 की रिपोर्ट से अपीलान्ट का कब्जा होने के बावजूद भी अपीलान्ट का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है। जबकि अपीलान्ट प्रश्नगत आराजी पर आवंटन के पश्चात से ही आवंटन शर्तों की पालना करता चला आ रहा है तथा अपीलान्ट के विरूद्ध कोई राशि बकाया नही है। प्रश्नगत आराजी के संबंध में पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आवंटन निरस्तीकरण बाबत प्रकरण संख्या 9/15 सरकार बनाम रामचरण में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2017 से प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया गया था। जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील संख्या 17/456 प्रस्तुत की जो दिनांक 11.04.2018 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय मे रिमान्ड की गयी। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.21 को पुनः आवंटन खारिज करने का आदेश प्रदान कर दिया जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील संख्या 91/2022 प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 30.04.24 को अधीनस्थ न्यायालय को रिमान्ड की गयी। किन्तु फिर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट का कब्जा होने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.02.2025 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया गया।

अति. संभाग आयुक्त
कोटा

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि तहसीलदार दीगोद के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट रामचरण आत्मज उद्वा जाति चमार निवासी नोताडा को मिसल नं. 135 दिनाक 19.06.1989 को वाके ग्राम नोताडा तह० दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 1.00 है० का दिनांक 19.06.1989 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1956 के संशोधित नियम 1957 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आवंटी श्री रामचरण द्वारा उसे आवंटित कृषि भूमि को गैरखातेदार रहते हुए ही अर्थात बिना खातेदारी दर्ज किए हुए ही बेचान करना प्रमाणित मानते हुए तदनुसार उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी/अपीलार्थी को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 19.06.1989 को निर्णय दिनांक 07.02.2025 से निरस्त किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलान्ट का आवंटित आराजी पर कब्जा होने के बावजूद भी अपीलान्ट का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अनवरत कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य नहीं दिये गये। बेचान का इकरारनामा आवंटन शर्तों का उल्लंघन होना प्रकट होता है। सिविल न्यायालय में राजीनामा के आधार पर वाद विड्रो करने से भी प्रकट है कि विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं होकर क्रेता को कब्जा संभला दिया गया था। नोटेरीशुदा राजीनामा दिनांक 02.02.2017 के अवलोकन से भी प्रकट है कि जमीन रामचरण के कब्जे में नहीं होकर हेमराज के कब्जे में थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन होने के कारण ही अपीलार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 19.06.1989 निर्णय दिनांक 07.02.2025 से निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

11-8-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा